



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-12.08.2024

विषय:- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने से सम्बन्धित मामले में वांछित अभियुक्त अफरोज थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, अपहृता/पीड़िता सकुशल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0-242/2024 धारा 137(2),87 BNS बढ़ोत्तरी धारा 65(1) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना लालपुर पाण्डेयपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अफरोज पुत्र मो0 सुबेजान निवासी मोटपट्टी सिधौली थाना अशोक पेपरमिल जिला दरभंगा (बिहार) को आज 12.08.2024 समय 08.30 बजे मकबूल आलम रोड से हनुमान मंदिर के पास पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी से गिरफ्तार करते हुए अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 08.07.2024 को वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी 13 वर्षीया पुत्री को दिनांक-06/07/24 समय 11.00 बजे दिन में टोटो चालक अफरोज पुत्र मो0 सुबेजान निवासी मोटपट्टी सिधौली थाना अशोक पेपरमिल जिला दरभंगा (बिहार) बहला-फुसलाकर कहीं लेकर चला गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर में उफरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार प्रजापति द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं करीब 04 माह पहले बनारस में काम के वास्ते आया था, मैं खजुरी में किराये पर रहकर टोटो चलाता था। पीड़िता/अपहृता से आते-जाते सम्पर्क हो गया। हम दोनों में मोबाइल से बातचीत होने लगी। दिनांक 06.07.2024 को मैं उसे भगाकर अपने घर ले जाकर अपने गांव में शादी कर पत्नी की तरह रखा था। आज हम दोनों बनारस आये थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अफरोज पुत्र मो0 सुबेजान निवासी मोटपट्टी सिधौली थाना अशोक पेपरमिल जिला दरभंगा (बिहार) उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीड़िता उम्र करीब 13 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- मकबूल आलम रोड से हनुमान मंदिर के पास पाण्डेयपुर थाना
लालपुर पाण्डेयपुर से दिनांक- 12.08.2024 को समय 08.30 बजे।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0स0-242/2024 धारा 137(2),87,65(1) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना
लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार प्रजापति थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. का0 रामप्रकाश सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. म0का0 प्रीति गिरी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।